फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :—**श्री वजेराम** विपक्षी :—**श्री नारायण**

किस्म मुकदमा :— 251 'क' रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :— 152/25

जीसीएमएस नम्बर :—2025/528

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 02.06.2026 पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पेश कर वाद विड्रो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पढ़कर सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई। चूंकि अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अब इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	